प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021कैम्प ललानिया
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

शिशपाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 88 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
21.11.2021	प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट किकराली में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 173/160 की कुल 16.3440हैक एवं खाता संख्या 198/194 की कुल 16.0400हैक भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम कृष्ण दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी के पिता का सही नाम कृष्णलाल है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पिता का नाम कृष्णलाल दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में कृष्णलाल दर्ज करवाना चाहता है प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी के पिता का कृष्णलाल है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कृष्ण दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम कृष्णलाल दर्ज है प्रार्थी के नाम के सम्बध में कैम्प के दोरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया गया प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत ललानिया की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 173/160 की कुल 16.3440हैक एवं खाता संख्या 198/194 की कुल 16.0400हैक भूमि दर्ज है दर्ज भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी, 2 ,3 के पिता का नाम कृष्ण दर्ज है के स्थान पर कृष्णलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट– ललानिया	

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2021 / 571 दिनांक :– 25-1-21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण अनवानी शिशपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. शिशपाल पुत्र कृष्णलाल जाति मेधवाल साकिन ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेधवाल साकिन ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. भूपसिह पुत्र कृष्णलाल जाति मेधवाल साकिन ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 173 / 160 की कुल 16.3440हैक्‍ एवं खाता संख्या 198 / 194 की कुल 16.0400हैक्‍ भूमि दर्ज है दर्ज भूमि में प्रार्थी अप्रार्थी, 2 ,3 के पिता का नाम कृष्ण दर्ज है के स्थान पर कृष्णलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ललानिया

Scanned with CamScanner